संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका––पृष्ठ 03 दिनांक 02/04/2021

स्वच्छता अभियान को लगा रहा पलीता

रेलवे को नगर निगम देगी नोटिस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में चल रहे स्वच्छता अभियान अंतर्गत अब नगर निगम की वक्र दृष्टि रेलवे पर हो गई है। रेलवे की भूमि पर निरीक्षण के दौरान गंदगी पाए जाने के बाद रेलवे को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, अगर रेलवे ने इसकी सफाई नहीं करवाई तो रेलवे को इस भूमि से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत धारा 6-4 में भूमि का अधिग्रहण करने का आदेश का प्रस्ताव नगर निगम कलेक्टर को जो निगम के प्रशासक भी है देगी। रेलवे स्वच्छता अभियान में पलीता लगा रही है।

असल में नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में एक नंबर पर लाने के लिए कवायद कर रहे हैं। इसके लिए वे सुबह 6 बजे से लेकर देर रात 2 व 3 बजे तक अलग-अलग स्थान पर कभी निरीक्षण तो कभी औचक दौरा कर रहे है। इसी के अंतर्गत जब आयुक्त झारिया जवाहर नगर क्षेत्र में पहुंचे तो कचरे का ढेर मिला। इसके बाद जब दारोगा को बुलाकर वेतन काटने को कहा तो दारोगा ने बताया कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह भूमि रेलवे की है व रेलवे यहां पर स्वच्छता करने के बजाए गंदगी वाहन से लाकर डालता है। आयुक्त झारिया ने मंडल रेल प्रबंधक विनित गुप्ता को फोन लगाया, लेकिन वे बाहर होने के चलते बात नहीं कर पाए। आयुक्त ने नोटिस देने का निर्णय लिया है।

भूमि का अधिग्रहण कर सकते- जिन भूमि पर गंदगी पाई गई है वो काफी बड़ी है। रेलवे यहां पर सफाई नहीं करवाता है व अपने क्षेत्र की गंदगी को बार बार डालता है। ऐसे में कचरे की भरमार हो गई है। इसलिए नगर निगम ने निर्णय लिया है कि अगर रेलवे अपनी भूमि पर स्वच्छता नहीं करवाता है तो उस भूमि को कलेक्टर जो निगम के प्रशासक भी है राजस्व अधिनियम अंतर्गत अधिग्रहण कर लेगा।

स्वच्छता अभियान अंतर्गत शहर में रेलवे की भूमि पर गंदगी पाई गई है। फिलहाल नोटिस जारी किया जा रहा है। सफाई नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

पत्रिका - 2

बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर सीधे भेजा जेल, मास्क को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

बगैर मास्क के घूमना खतरनाक हो सकता है। अब प्रशासन ने बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर सीधे जेल भेजने की कार्यवाही शुरु कर दी है। राम मन्दिर चौराहे पर बगैर मास्क के पाए गए कई लोगों को सीधे जेल में डाल दिया गया।

एसडीएम अभिषेक गेहलोत और सीएसपी हेमन्त सिंह चौहान ने शाम को राम मन्दिर के भीड़भाड़ भरे इलाके में मास्क को लेकर चैकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बगैर मास्क के गुजर रहे वाहन चालकों को पकड़ा गया। इन सभी लोगों को जेल तो भेजा गया, लेकिन यह जेल कुछ अलग थी। प्रशासन ने पुलिस के एक वाहन को अस्थाई जेल घोषित किया था। बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को कुछ देर के लिए इस अस्थाई जेल में रखा गया और इसके बाद उन्हें मास्क लगाने की शपथ दिलाकर छोड़ दिया गया। एसडीएम श्री गेहलोत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए मास्क ही एकमात्र उपाय है और आम लोगों में मास्क को लेकर जागरुकता लाने के लिए इस प्रकार की अस्थाई जेल का तरीका खोजा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो जुर्माना और अस्थाई जेल जैसे कदम उठाए जा रहे है, लेकिन अगर लोगों ने मास्क के प्रति गंभीरता ना दिखाई तो आने वाले दिनों में बगैर मास्क के पाए जाने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

संकलन-नगर निगम, रतलाम अखबार-दै. भास्कर-पृष्ठ 14 दिनांक 02/04/2021

4077 लोगों ने लगवाई वैक्सीन, अलकापुरी में मिली अव्यवस्था, आज भी लगवा सकेंगे टीका

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में अब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरुवार को 4077 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। शुक्रवार को भी लोग सीधे केंद्र पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे, इसके लिए आधार कार्ड साथ में ले जाना होगा। गुरुवार को जिले के बाल चिकित्सालय व रतलाम सीबीसी (अलकापुरी और जवाहर नगर केंद्र) में कुल 1485 लोगों ने टीका लगवाया। मेडिकल कॉलेज में 347 व पुराने कलेक्टोरेट केंद्र में 328 लोगों को टीका लगा। इधर, अलकापुरी केंद्र पर अव्यवस्था रही। सुबह लोगों को कुर्सियां नहीं मिली।

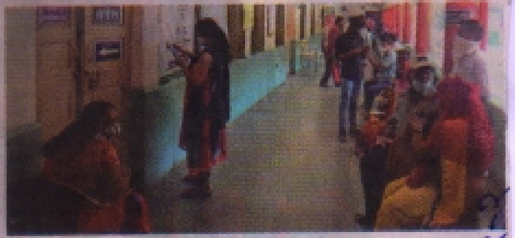

बाल चिकित्सालय में अपनी बारी का इंतजार करते लोग।

आज यहां लगाई जाएगी वैक्सीन

2 अप्रैल को बाल चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, आंबेडकर भवन (पोलोग्राउंड), जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल, डीआरपी लाइन, पुराना कलेक्टोरेट और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दिलीप नगर में टीकाकरण किया जाएगा। रेलवे हॉस्पिटल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोवैक्सीन का टीका लगेगा।

अब मास्क नहीं पहनने पर जेल!

राम मंदिर चौराहे पर मास्क पहनाकर शपथ दिलाते एसडीएम गेहलोत। • नईदुनिया

रतलाम। जिला व पुलिस प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई का नया तरीका अपनाया है। गुरुवार रात सज्जन मिल रोड श्रीराम मंदिर सहित अन्य बाजार में पुलिस के जेल वाहन को ही अस्थायी जेल के रूप में तब्दील कर दिया। राम मंदिर चौराहे पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान और अमले ने बगैर मास्क के आ-जा रहे लोगों को अस्थायी जेल बने जेल वाहन में एक घंटे तक मास्क पहनाकर कैद रखा तथा मास्क पहनने की शपथ दिलाकर छोड़ा। एसडीएम ने बताया कि अब यदि कोई बगैर मास्क के घूमता पकड़ा गया उन्हें अस्थायी जेल में रखा जाएगा।

एक्शन : पहली बार शहर में मास्क नहीं पहनने वालों को अस्थायी जेल में भेजा

रतलाम | कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है... लेकिन अब अभी लोगों का लापरवाही पूर्वक रवैया सामने आ रहा है। इसे लेकर गुरुवार को प्रशासन की सख्ती दिखी। शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत सहित अमले ने सैलाना बस स्टैंड पर पुलिस की वैन को अस्थाई जेल बनाया। मास्क नहीं पहनने वालों को इस जेल में रखा गया। 15 से 20 मिनट बैठाने के बाद मास्क पहनने की शपथ दिलवाकर ही छोड़ा। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया यह कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नवभारत–––पृष्ठ 09....दिनांक 02/04/...2021

आज 10 बजे से सोमवार सुबह 6 तक लॉकडाउन

रतलाम। जिले में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, एसडीएम शहर

▸ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित

▸ दूध वितरण के लिए सुबह-शाम छूट

अभिषेक गहलोत एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान शासन के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लाकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान दूध का वितरण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 4 से 7 तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में तय किया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना, पिलाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। होटल रेस्टोरेंट के संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे। विभिन्न ठेले, खोमचे आदि पर खड़े रहकर खाद्य पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करवाकर घर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे। प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे। नवभारत-२

बाहर से आने वालों को दिखाना होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट

रतलाम जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने की दशा में बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन अपने घर में होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रतलाम जिले से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच हेतु पृथक से व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए रतलाम शहर का तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की व्यवस्था की जाएगी।

गैर व सार्वजनिक आयोजन पर रोक

बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी होली अपने घर के अंदर ही मनाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में घर के बाहर होली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। रंगपंचमी के द्वारा किसी भी प्रकार की गैर सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए

शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा

सभी स्कूल कालेज 15 अप्रैल तक बंद

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

जिले में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हर विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान शासन के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लाकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान दूध का वितरण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 4 से 7 तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी-त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी होली अपने घर के अंदर ही मनाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में घर के बाहर होली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

रंगपंचमी के द्वारा किसी भी प्रकार की गैर सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। रतलाम जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने की दशा में बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन अपने घर में होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रतलाम जिले से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच हेतु पृथक से व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए रतलाम शहर का तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की व्यवस्था की जाएगी।

बैठक में तय किया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना, पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटल रेस्टोरेंट के संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे। विभिन्न ठेले, खोमचे आदि पर खड़े रहकर खाद्य पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करवाकर घर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे। प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे। अवन्तिका-2

प्रशासक ने किया निगम का बजट पारित

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा प्रस्तुत निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक (बजट) पारित कर अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय रूपये 33857.75 लाख (तीन अरब अड़तीस करोड़ सत्तावन लाख पिचहत्तर हजार रूपये) तथा विभिन्न कार्यों पर व्यय रूपये 33853.84 लाख जिसमें रूपये 3.91 लाख बचत का बजट पारित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, लेखाधिकारी विजय वालोद्रा आदि उपस्थित थे। २/५-२

नेशनल लोक अदालत का 8 मई को

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन किया जाकर उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मई 2021 को किया जावेगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी ने बताया कि 08 मई को नेशनल लोक अदालत के दिन अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से या स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें जिससे कि न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सकें। उक्त लोक अदालत में यथा समय स्वीकृत दरों अनुसार पेनाल्टी, सरचार्ज व समझौता शुल्क में छूट का लाभ भी प्रदाय किया जावेगा।

अनुपस्थित 30 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम (आरएनएन)। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 31 मार्च बुधवार को 30 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

पालीथिन का उपयोग करने और गंदगी फैलाने वाले 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। नगरीय क्षेत्र में 50 माइक्रान से कम मोटाई की पालीथिन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत कलेक्टर गोपालचंद्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। अमानक पालीथिन का उपयोग करने व गंदगी फैलाने पर शुद्ध दुग्ध भंडार, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चौमुखी पुल पर 1000-1000, सांवरिया साड़ीज, कन्हैया स्वीट्स चौमुखी पुल, उजक्का, सुपर गारमेंटस, पूर्णिमा साड़ी नौलाईपुरा, वैणिक पोहावाला कोर्ट तिराहा पर 500-500, अनुराग गारमेंट्स घास बाजार पर 300, सब्बीन घास बाजार पर 200 रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क घूमने वाले 15 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की कार्रवाई प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाडे, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि द्वारा की गई।

नेशनल लोक अदालत आठ मई को

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत 10 अप्रैल की जगह अब 8 मई को होगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी ने बताया कि अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से या स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।

10 अप्रैल की नेशनल लोक अदालत अब 8 मई को

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिला न्यायालय में 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख बढ़ाकर 8 मई कर दी है। तिथि परिवर्तन का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन हुआ है। प्रकरणों के निराकरण के लिए आमजन 8 मई को नेशनल लोक अदालत के दिन अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें ताकि लंबित तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। लोक अदालत में स्वीकृत दरों के अनुसार सरचार्ज व समझौता शुल्क में छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

1001 रंगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया

रतलाम ● स्वदेश समाचार

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास तेजी से जारी हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते कचरामुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर रंगोली निर्माण कर नागरिकों को स्वच्छता का स्वच्छता का संदेश दिया गया है। इस अभियान में समूचे शहर को जोड़ते हुए रतलाम नगर के विभिन्न इलाकों में एक हजार एक रंगोली का निर्माण कर नागरिकों ने रंगोली निर्माण में भी नम्बर-1 बना दिया है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम शहर को स्वच्छता रैंकिंग 5 स्टार में लाने के लिए रतलाम नगर निगम ने दावेदारी की है और इसके मापदंडों को भी पूरा किए जाने के प्रयास सतत जारी है। इसी के तहत रतलाम शहर के 49 ही वार्ड जीरो वेस्ट में तब्दिल किए जा चुके हैं। पछले दिनों नई दिल्ली से रंगोली को देश में विशेष अलर्ट घोषित किया गया है जो शहरवासियों के लिए गर्व का विषय है। इसी कड़ी में शहर में एक हजार एक रंगोली का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के तहत बुधवार को अपने कार्यालय, घर, दुकान, पार्क, चौराहा, तिराहे इत्यादि की सफाई करवाकर विभिन्न उद्देश्यों को दर्शित कर रंगोली बनवाई गई ताकि पूरे नगर में स्वच्छता के प्रति सुंदर भाव जागे। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए रतलाम के एक दर्जन महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 100 सदस्यों का चयन किया। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय कर नगर की 150 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का चयन कर उन्हें अपनी क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं के माध्यम से रंगोली निर्माण का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही सफाई मित्र समूह की टीम भी अलर्ट रही। सुबह सात बजे से रंगोली निर्माण की शुरुआत स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम कार्यालय से की गई। इसके बाद शहर के अनेक इलाकों में रंगोली निर्माण का कार्य शाम सात बजे तक जब तक चलता रहा कि जब तक 1001 रंगोली का लक्ष्य पूरा नहीं हो गया। श्री झारिया ने कहा नगर को पूरे देश में नंबर 1 बनाने के लिए शहर के सभी वार्डों को कचरा मुक्त बनाकर ही रैंकिंग प्राप्त की जा सकती है।

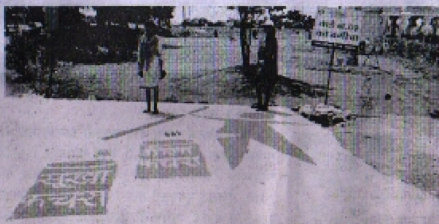

स्वदेश - २

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नईदुनिया–पृष्ठ ..16.. दिनांक ..02/04/..2021

आज रात 10 बजे से शहर में 56 घंटे का टोटल लाकडाउन

दूध का घर-घर वितरण हो सकेगा, दवा दुकानें खुली रहेंगी, शीतला माता मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित, रंगपंचमी भी घर में ही मनेगी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक शहर में टोटल लाकडाउन रहेगा। शासन स्तर से मिले निर्देशों के बाद गुरुवार को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में चर्चा के बाद तय किया गया कि लाकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं, दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे। दूध का वितरण सुबह छह बजे से 10 बजे तक एवं शाम चार से सात तक घर पहुंच सेवा में किया जाएगा। रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी होली अपने घर के अंदर ही मनाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में घर के बाहर होली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। रंगपंचमी के द्वारा किसी भी प्रकार की गैर सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। सुबह

नारायण स्वामी

• तेजी से फैल रहे कोरोना की रोकथाम के लिए प्रत्येक नागरिक को सावधानी बरतना जरूरी है। वर्तमान में मास्क पहनने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना सबसे कारगर उपाय है।

– नारायण स्वामी
लहसुन-प्याज के थोक व्यापारी

सतीश राठौड़

• स्वयं के साथ अन्य की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। सावधानी बरतकर ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।

–सतीश राठौड़
सब्जी के थोक व्यापारी

प्रो. प्रीति गोयल

• कोरोना महामारी घर-घर में दस्तक दे रही है। लोगों को इसकी भयावहता को समझना होगी। जरा-सी लापरवाही बड़े संकट का कारण

संवरेंगे हाल • अवैध होने से ढाई साल से खुदी पड़ी हैं 8 कॉलोनियों की सड़कें, 23 साल से हैंडपंप के भरोसे

50 अवैध कॉलोनियां दूसरी बार होंगी वैध, 60 हजार रहवासियों को होगी सहूलियत

2015 में 17 और 2018 में 33 कॉलोनियों को वैध घोषित किया, पहली बार में 7 करोड़ में से 4 करोड़ के काम हो सके

भास्कर संवाददाता | रतलाम

23 साल से हैंडपंप का पानी, महंगी बिजली और कच्ची रोड की तकलीफ झेल रहे अवैध कॉलोनियों के लगभग 60 हजार रहवासियों को जल्द ही तमाम तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। इसका जरिया बनेगा नगर पालिका विधि संशोधन बिल। इससे शहर की 50 अवैध कॉलोनियों दूसरी बार वैध हो जाएंगी।

नगर निगम ने 2015 में 17 और 2018 में 33 कॉलोनियों को वैध घोषित करके सड़क, पानी और क्रॉस ड्रेन बनाने के लिए क्रमशः 7 और 19 करोड़ की योजना बनाई थी। इनमें से अब तक सिर्फ 4 करोड़ के ही काम हो पाए है। 2018 में 33 कॉलोनियों में मूलभूत विकास कार्यों के लिए निगम ने 19 करोड़ के टेंडर किए थे। आठ कॉलोनियों में सड़कों की खुदाई भी शुरू हो गई। इसी बीच ग्वालियर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिससे सड़कें खुदी हुई ही पड़ी हैं। अब निगम पहले से मंजूर अधूरे कामों को पूरा कराएगा या नई योजना बनेगी। इसका खुलासा बाकी है।

विडंबना : दूसरी बार मंजूर 19 करोड़ के सारे काम रुके

यह रोड है वार्ड 22 की, सितंबर 2018 में खुदना शुरू हुई लेकिन काम बंद हो गया। पूर्व पार्षद कैलाशीबाई मीणा ने समतल कराने की कोशिश की लेकिन निगम ने नहीं किया।

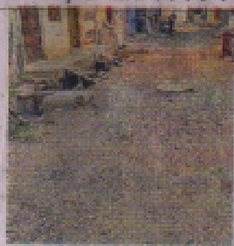

सड़क वार्ड 23 तेजा नगर की है, जिसे ठेकेदार ने खोद दिया लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद सामान उठाकर चला गया। पूर्व पार्षद विजय लक्ष्मी राठौड़ ने प्रयास किया पर निगम उदासीन रहा।

धारा शून्य घोषित करने से उलझ गया था मामला- 3 जून 2019 को न्यायालय ने नपा अधिनियम 1956 की धारा 292-ई के प्रावधान का हवाला देते हुए धारा को शून्य घोषित कर दिया था। इससे वैध कॉलोनियां फिर अवैध हो गई थीं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश की परंतु कामयाब नहीं हो पाई थी।

ये अवैध कॉलोनियां हो जाएंगी वैध- मालवानगर व पीएंडटी कॉलोनी, वर्धमान नगर (सेक्टर-2), महेश नगर (इंदिरानगर), राजीव नगर (राजगढ़), महेश नगर (राजगढ़), कोमल नगर (राजगढ़), सौभाग्य नगर, निराला नगर, मोहननगर, शृंगी नगर, गणेश नगर, शक्ति नगर, आदर्श नगर, पटवारी कॉलोनी, सखवाल नगर, धीरज शाह नगर, संजय नगर, रेल नगर (राजगढ़), गणेश नगर (राजगढ़), कल्याण नगर, करमदी रोड (तेजानगर ब्लॉक नं 02 के पास), ज्योति नगर (करमदी), समता नगर, श्रीराम नगर, अभय नगर, जनता नगर कॉलोनी, बाणेश्वरी गृह निर्माण सहकारी समिति, भवानी नगर (राजगढ़), त्रिमूर्ति नगर सैलाना रोड, करण नगर, करमदी रोड सांवरिया मंदिर के सामने, आंधा सेठ की पुलिया के पास गुलाब शाहवली दरगाह रोड की कॉलोनी, सरस्वती नगर चमारिया नाका, अशोक नगर, लक्ष्मीनगर सी कालोनी, रत्नेश्वर रोड कॉलोनी, भाभी गृह निर्माण समिति डंकाला रोड, बसंत कॉलोनी, मिल्लत नगर, न्यू पटेल कॉलोनी, लालजी का बाग, प्रतापनगर के सामने (आरओबी) के नीचे, होमगार्ड कॉलोनी के पीछे गली नंबर 4, राजस्व नगर, रहमत नगर, बापू नगर, राजू नगर डीजल शेड के पास, राम रहीम नगर, मौलाना आजाद नगर, हम्माल नगर, सैफी नगर, विक्रम नगर होटल कॉस्मॉस के पीछे, शिवनगर, भवानी नगर के सामने राजगढ़, कुढेश्वर रोड सैनिक कॉलोनी के पास।

यह फायदा भी मिलेगा कॉलोनीवासियों को -

- मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन मिलने लगेगी। पहले वैध होने के बाद रहवासी करीब 2 करोड़ का विकास शुल्क जमा करा चुके।
- कोर्ट के फैसले से लगभग 180 से ज्यादा लोन प्रकरण अटक गए थे।
- कॉलोनियों में विकास कार्य होने लगेंगे।

लाभ मिलेंगे - ▪ *रहवासियों को बिल्डिंग परमिशन और बैंक लोन सहित अन्य लाभ भी मिलने लगेंगे।* **चेतन्य काश्यप**, विधायक

▪ *कॉलोनियों को वैध घोषित करने के बाद विकास कार्य कैसे होंगे। हमारी कोशिश जल्द से जल्द काम शुरू करवाने की होगी।* **सुरेशचंद्र व्यास**, सिटी इंजीनियर नगर निगम भास्कर-2

संकलन—नगर निगम, रतलाम अखबार—राज एक्सप्रेस पृष्ठ 10 दिनांक 02/04/2021

शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन, सुबह शाम होगी दूध की होम डिलेवरी

लॉकडाउन 2: रतलाम फिर हुआ दो दिन के लिए लॉक

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

रतलाम जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हर विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान शासन के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लाकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान दूध का वितरण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 4 से 7 तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी होली अपने घर के अंदर ही मनाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में घर के बाहर होली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। २१५-२

रंगपंचमी के द्वारा किसी भी प्रकार की गैर सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। रतलाम जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने की दशा में बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन अपने घर में होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जाएगी। रतलाम जिले से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच हेतु पृथक से व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए रतलाम शहर का तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना, पिलाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। होटल रेस्टोरेंट के संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे। विभिन्न ठेले, खोमचे आदि पर खड़े रहकर खाद्य पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करवाकर घर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे। प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–दै. भास्कर–पृष्ठ 07...दिनांक 02/04/..2021

सुभाषनगर ब्रिज : मकानों पर चले हथौड़े, फिर भी काम धीमा क्योंकि बिजली के तार व पोल शिफ्टिंग का अवॉर्ड ही पारित नहीं हो पाया

2.15 करोड़ रुपए का प्रपोजल भोपाल भेजा है सेतु विकास निगम ने

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नोटिस मिलने के बाद सुभाषनगर फ्लाईओवर के आड़े आ रहे मकानों के मालिकों ने घर तोड़ना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके ब्रिज के काम में तेजी नहीं आ पाएगी। कारण, बिजली के तार और पोल हैं, जिनको शिफ्ट किए बिना काम आगे बढ़ना लगभग असंभव है। लगभग 2.15 करोड़ का रिवाइज एस्टीमेट बनाकर सेतु विकास निगम भोपाल मुख्यालय भेज चुका है, लेकिन चार माह गुजरने के बावजूद अब तक अवॉर्ड नहीं हो पाया है।

काम की मौजूदा रफ्तार से ब्रिज पूरा होने में लगेंगे अतिरिक्त आठ महीने

काम की यही रफ्तार रही तो 21.48 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण 7 से 8 माह देरी से पूरा हो पाएगा। एजेंसियों को ब्रिज अगस्त 2022 तक बनाकर तैयार करना है। । अब स्लैब डालने की तैयारी चल रही है। दूसरी एजेंसी सेतु विकास निगम की है, जो दोनों तरफ का 672 मीटर का हिस्सा बनाएगी। कॉमर्स कॉलेज और सुभाष नगर की तरफ पिलर पर कैप बनने लगी है।

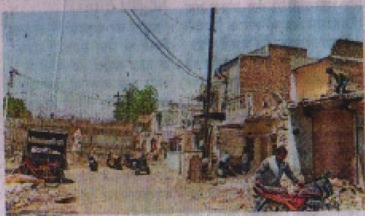

नोटिस मिलने के बाद मकान तोड़ते प्रभावित परिवार।

फ्लाईओवर में क्या-क्या अड़चनें

- मुआवजा राशि पर आपत्ति लगाने वाले 15 प्रभावितों को तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इनकी दूसरी बार नपती और गणना हो चुकी। तीन की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 12 प्रभावितों के 17 से 18 लाख बंटना बाकी है।
- ठेकेदार की मशीनें नहीं जा पा रही है क्योंकि बीच में बिजली के तार व पोल लगे हैं। इससे खुदाई, रिटनिंग वॉल और दो पिलर के कैप का काम रुका हुआ है।
- बिजली लाइन और पोल शिफ्टिंग के एस्टीमेट को भोपाल मुख्यालय से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर करके लाइन टूटे हुए मकानों की जगह शिफ्ट होना है।
- बिजली लाइन और पोल नहीं हटने से काम धीमा चल रहा है। इसका प्रस्ताव भेज रखा है, प्रशासकीय मंजूरी नहीं पाई है। उसके बाद टेंडर करके इन्हें मकानों के टूटने से खाली हुई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा।

एक पखवाड़े में हटेंगे सारे मकान - *मुआवजा मिलने के बाद भी मकान व दुकान नहीं हटा रहे 96 प्रभावितों को 22 मार्च को सेतु निगम ने नोटिस दिए थे। यही रफ्तार रही तो एक पखवाड़े में मकान हट जाएंगे।* आरके गुप्ता, एसडीओ-सेतु विकास निगम

काम बहुत धीमा चल रहा है। कई प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। प्रशासन को इनकी आपत्तियों का जल्द निराकरण करना चाहिए। जिन्हें नोटिस मिले थे, उन्होंने मकान, दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया है। - रवि वर्मा, प्रभावित

6:30 बजे से 9:30 बजे तक समाचार पत्रों का वितरण किया जा सकेगा।

शीतलामाता मंदिरों में पुजारी करेंगे सांकेतिक पूजा

शहर में शीतला सप्तमी पर होने शीतला माता मंदिरों में होने वाली पूजा को लेकर एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान ने मंदिरों के प्रबंधकों, पुजारियों की बैठक पुराने कंट्रोल रूम पर ली। बैठक में तय किया गया कि मंदिरों में सांकेतिक पूजा पुजारियों द्वारा की जाएगी। आमजन या महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लाकडाउन के चलते नगर निगम द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई भी शनिवार व रविवार को बंद रहेगी। सोमवार को सिर्फ सिविक सेंटर स्थित केंद्र खुलेगा, त्रिपोलिया गेट व आंबेडकर मांगलिक भवन केंद्र बंद रहेंगे।

जिले में रेल एवं बस से महाराष्ट्र, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने पर बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए सात दिन होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच के लिए शहर के तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर व्यवस्था की जाएगी। महाराष्ट्र के लिए बसों सहित स्कूल, कोचिंग आदि का संचालन 15 अप्रैल तक बंद रहेगा।

रतलाम के बाजार में अभी भी शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। • नईदुनिया

जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में चर्चा करते हुए अधिकारी और जनप्रतिनिधि। • नईदुनिया

> कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर के हर वर्ग को जागरूक होकर गाइडलाइन का पालन करना व करवाना होगा। आंकड़ों में कमी आना आवश्यक है अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। राज्य शासन से गुरुवार को मिले आदेशानुसार प्रदेश के पांच शहरों में दो दिन का संपूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है।
>
> -चैतन्य काश्यप, विधायक रतलाम शहर

जगह के मान से ग्राहकों को रेस्टोरेंट में बैठाने की अनुमति दें

रतलाम। रेस्टोरेंट, होटल संचालकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार नवीन गर्ग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि कोरोना काल में लाकडाउन व शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना के दूसरे चरण की गाइड लाइन से भी व्यापार प्रभावित हो रहा है। शहर में करीब 50 रेस्टोरेंट है जिससे जुड़े करीब एक हजार परिवारों की आजीविका चलती है। ग्राहकों को बैठाकर खिलाने पर रोक लगाने से व्यापार ठप होने की कगार पर है। कोविड नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को रेस्टोरेंट में जगह के अनुसार बैठाकर भोजन करवाने व संडे लाकडाउन के दौरान पार्सल के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति दी जाए।

बैठक में तय किया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना, पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटल रेस्टोरेंट के संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे। ठेले, खोमचे आदि पर खड़े रहकर खाद्य पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करवाकर घर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे। प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे।

85 नए मरीज और दो की मौत

गुरुवार को 85 नए पाजिटिव केस सामने आए। 83 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। दो की मौत भी हुई। मौत का कुल आंकड़ा 94 हो गया है। एक्टिव 650 है। अब तक 5601 मरीज पाजिटिव आ चुके हैं और 4857 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

... बड़े संकट का कारण बन सकती है। नियमों का पालन कर स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।

-प्रो. प्रीति मौयल, माइक्रोबायोलाजी विभाग

प्रभात वाजपेयी

• जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाजार में लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। शासन-प्रशासन को कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए।

- प्रभात वाजपेयी, रजिस्ट्रार

शीतल चौहान

• वर्तमान समय में स्वस्थ रहने सबसे बड़ी दौलत है। जान है तो जहान है। शासन-प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। नागरिकों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए।

-प्रो. शीतल चौहान, शासकीय मेडिकल कालेज

नईदुनिया 12 25/04

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– दै.भास्कर –पृष्ठ 06 दिनांक 02/04/2021

सबसे ज्यादा खतरा शहर में : गांव में शहर के मुकाबले 1% पॉजिटिव भी नहीं मिल रहे, कोरोना काल में पहली बार 771 एक्टिव कंटेनमेंट

जिले में एक्टिव केस 650, मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा, अप्रैल की शुरुआत में भी दो लोगों ने तोड़ा दम

शहर में ही हो रही है ज्यादा सख्ती, ये महीना अब तक का सबसे खतरनाक होने की आशंका... अब आपको भी संभलना होगा, डिस्टेंसिंग के साथ मास्क की आदत अपनाएं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना संक्रमण का खतरा रतलाम शहर में ही सबसे ज्यादा बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि... मार्च के आखिरी पांच दिन के आंकड़े देखें तो गांव में शहर के मुकाबले 1% भी पॉजिटिव सामने नहीं आए हैं। ऐसे में शहर में सख्ती शुरू हो चुकी है। इधर, संक्रमित मरीजों का भी शहर में रोज नया इतिहास बन रहा है। एक्टिव केस 650 के पार हो गए हैं तो वहीं, कोरोना काल में पहली बार 771 एक्टिव कंटेनमेंट बन गए हैं।

मार्च का महीना कोरोना के लिहाज से बहुत बुरा साबित हुआ है, लेकिन अब अप्रैल में मार्च से भी बुरी स्थिति होने की आशंका बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि, संक्रमण अभी बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि, अभी संक्रमण शहरी क्षेत्र में ही बेकाबू है। शहर के सभी इलाकों से मरीज मिल रहे हैं। जिले में 27 मार्च से 31 मार्च तक 395 पॉजिटिव सामने आए हैं, इनमें से सिर्फ 57 लोग ही ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। बचे हुए 338 लोग शहर के ही हैं। 29 मार्च को तो 54 संक्रमित मिले थे, उनमें से सिर्फ दो लोग ही ग्रामीण क्षेत्र के थे।

शहर के मुकाबले गांव में इसलिए संक्रमण के मामले कम मिल रहे

1. लॉकडाउन

शहर - शहर में रात्रि में 10 बजे लॉकडाउन लगाया जा रहा है।

ग्रामीण - गांव में रात 10 बजे तक आम तौर पर सन्नाटा हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। आवागमन बहुत कम रहता है।

2. खानपान

शहर - दुकानों और बाहर खानपान होना।

ग्रामीण - बाहर आवागमन नहीं होने से ज्यादातर लोग घरों में ही खाते हैं।

3. सोशल डिस्टेंसिंग

शहर - यह शब्द सभी की जुबान पर है... लेकिन, लागू बहुत कम जगह हो रहा।

ग्रामीण - लोग दोपहर में खेत में रहते हैं, खुलापन होने से दूरी अपने आप बन जाती है।

4. ट्रैवलिंग

शहर - अन्य शहरों से लगातार आवागमन हो रहा है। बड़े शहरों से ज्यादा है, वहां संक्रमण बेकाबू है।

ग्रामीण - बहुत जरूरी काम होने पर ही दूसरे शहरों में जाते हैं।

कब कितने मरीज मिले

दिनांक	कुल पॉजिटिव	शहर	गांव	प्रतिशत (ग्रामीण)
31 मार्च	84	70	14	0.16
30 मार्च	54	52	2	0.03
29 मार्च	79	73	6	0.07
28 मार्च	94	75	19	0.20
27 मार्च	84	68	16	0.19

अच्छी सैंपलिंग, लेकिन पॉजिटिव कम- ग्रामीण क्षेत्रों से भी अच्छी सैंपलिंग हो रही है, लेकिन पॉजिटिव कम मिल रहे हैं। शहर में जल्द लोग संक्रमण की गिरफ्त में आ रहे हैं। साफ है कि शहर में संक्रमण फैल रहा है, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
डॉ. गौरव बोरीवाल, एपेडेमियोलॉजिस्ट

आ/स्वास्थ्य-2

स्वदेश - 2

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने लिया निर्णय

अब शनिवार और रविवार दो दिन रहेगी सम्पूर्ण तालाबंदी

दुकानें आम दिनों में प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेगी

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण तालाबंदी रखा जाए। तालाबंदी के दौरान दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे, दूध का वितरण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 4 से 7 तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्योहार के मद्देनजर रंग पर्व अपने घर मनाए जाने के निर्देश जनता-जनार्दन को दिए गए।

किसी भी स्थिति में घर के बाहर रंग-गुलाल खेलने का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। रंगपंचमी पर किसी भी प्रकार की गैर सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नैगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने की दशा में बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन अपने घर में होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

रतलाम जिले से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच हेतु पृथक से व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए रतलाम शहर का तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटल रेस्टोरेंट के संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे। विभिन्न ठेले खोमचे आदि पर खड़े रहकर खाद्य पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करवा कर घर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे। प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे। बैठक में विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

टीकाकरण जारी

आलोट ● कोविड -19 टीकाकरण अभियान में आलोट विकासखंड क्षेत्र में अब तक कुल 6574 लोगों को टीका लगाने का कार्य किया जा चुका है, जबकि 31 मार्च तक कुल 6293 लोगों को तथा 1 अप्रैल को विकासखंड क्षेत्र के केंद्र आलोट पर 111 ताल पर 73 और खारवाकलां पर 97 लोगों को टीका लगाया गया है। यह जानकारी ब्लाक विकासखंड प्रभारी डॉक्टर अब्दुल कादिर ने देते हुए बताया कि आलोट, ताल एवं खारवाकलां स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा 14 गांव में भी टीका केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर भी 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है। आलोट केंद्र पर अभी तक सर्वाधिक लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं तथा ताल, खारवाकलां केंद्र एवं क्षेत्र के 14 गांव में प्रथम टीके के बाद कुछ व्यक्तियों को दूसरा टीका मैसेज मिले व्यक्तियों को लगाए गए हैं और अभी वर्तमान में प्रथम टीके के 28 दिन बाद व 56 दिन के भीतर दूसरा टीका लगाया जाता है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका---पृष्ठ 13...दिनांक 02/04/...2021

जनता सतर्कता से मनाएगी रंगपंचमी...

रतलाम में 58 घंटे नाकामी का 'लॉक'

शहर में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण: कोरोना रोक नहीं पा रहे जिम्मेदार, बस पढ़ा रहे नियमों का पाठ

लॉकडाउन टाइम शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन

यह किया बदलाव लॉकडाउन में चालू रहेगी मेडिकल के साथ दूध की घर पहुंच सप्लाई

पत्रिका

करंट इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कोरोना संक्रमण के फैलाव के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद प्रशासन की ओर से रतलाम में 2 दिन के टोटल लॉकडाउन की सूचना जारी की गई है। अब शुक्रवार की रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रतलाम पूरी तरह लॉक रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने का कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को बताया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार यह साफ नहीं कर पा रहे हैं कि वे इसकी रोकथाम के लिए क्या ठोस प्रयास कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि महज लॉकडाउन कर संक्रमण पर रोक स्थाई समाधान नहीं है, इसका सीधा असर शहर की जनता के साथ ही व्यापार-व्यवसाय पर हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक टीम सैंपल जांच बढ़ाने, संसाधनों को और विस्तारित करने व मेडिकल कॉलेज में बरती जा रही लापरवाही को थामने के बजाय रतलाम को नाकामी के बढ़ते लॉकडाउन की ओर ले जा रही है। व्यापारी व दुकानदारों के वर्ग ने तो छूट की मांग भी उठा दी है।

कोरोना संक्रमण के चलते अब रतलाम शहर में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार रात 10 बजे से होगी और सोमवार सुबह 6 बजे तक यह लागू रहेगा। 58 घंटे की लॉकडाउन अवधि में सिर्फ दूध की सप्लाई और मेडिकल दुकानों को छूट रहेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रतलाम प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से चर्चा की, जिसके बाद रतलाम में कोरोना पर काबू पाने के लिए शासन- प्रशासन ने रतलाम शहर को लेकर कठोर निर्णय लिया है। अब अगले आदेश तक हर शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

शहर में शनिवार और रविवार के साथ ही शुक्रवार को रंगपंचमी को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती बरतने की बात कही है जिसके तहत लोग घर के बाहर निकलकर रंगपंचमी नहीं खेल सकेंगे। लोगों को मेरा घर, मेरी होली के तहत ही रंगपंचमी पर्व मनाना होगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

पत्रिका–2

शीतला सप्तमी पर मंदिर नहीं जा पाएंगी महिलाएं

कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की लगातार बढ़ती संख्या को देख शहर में शीतला सप्तमी को लेकर पुलिस-प्रशासन ने नए निर्देश जारी किए है। एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गहलोत एवं सीएसपी हेमंतसिंह चौहान ने शहर के शीतला माता मंदिर के प्रबंधक, पुजारियों की गुरुवार को बैठक आयोजित की। इस बैठक में शहर के समस्त शीतला माता मंदिर, पूजा स्थलों पर शीतला सप्तमी के अवसर पर केवल संबंधित पुजारी द्वारा सांकेतिक पूजा किए जाने का निर्णय लिया गया। मंदिर पर आम व्यक्तियों, महिलाओं द्वारा पूजा करना प्रतिबंधित रखा गया है।

विधायक ने किया जागरूकता बढ़ाने का आह्वान-शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में कमी आना आवश्यक है अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। राज्य शासन से गुरुवार को प्राप्त आदेशानुसार प्रदेश के पांच शहरों में दो दिन का सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। रतलाम में दो दिन का सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दूध आपूर्ति सहित अति आवश्यक सेवाएं बहाल रहेगी। काश्यप ने बताया कि जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 2 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान दूध के साथ दवाई की दुकानें, अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाएं बहाल रहेगी। कोरोना संक्रमण के आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, इसलिए शासन को यह निर्णय लेना पड़ा है। रतलाम प्रदेश के उन 4-5 नगरों में शामिल है, जहां कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। जनजागरूकता अति आवश्यक है।

नहीं निकल सकेगी गेर

रंगपंचमी पर गेर, सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने की दशा में बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा।

बाहर जाने वालों की यहां होगी जांच

रतलाम से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच के लिए पृथक से व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए रतलाम शहर का तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में तय किया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना, पिलाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। होटल रेस्टोरेंट संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे।

तीन दिन बंद रहेगी रसोई योजना

नगर निगम द्वारा शहर में तीन स्थान पर संचालित दीनदयाल रसोई योजना केंद्र शुक्रवार से रविवार तक तीन दिन तक बंद रहेंगे। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया त्रिपोलिया गेट, डॉक्टर अम्बेडकर मांगलिक हॉल व तरणताल पर रसोई केंद्र चलते हैं। सोमवार को तीन में से सिर्फ तरणताल के रसोई केंद्र को चलाया जाएगा।

मेडिकल कॉलेज डीन पॉजिटिव, 85 नए संक्रमित

शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को 85 नए संक्रमित सामने आ गए और दो की मौत हो गई। शासकीय मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. शशि गांधी भी कोरोना पॉजिटिव आई। नए संक्रमितों में शहर के साथ ही जिले के कस्बा क्षेत्रों के मरीज भी शामिल है। बीते तीन दिनों से जिले में लगातार 50 से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं, जबकि 3 से अधिक मौत हो चुकी है। प्रशासन संक्रमण बढ़ने पर सख्ती लागू कर रहा है, लेकिन आम आदमी की सुविधा और सरलता नजरअंदाज हो रही है।

सब्जी मंडी में भीड़

रंग पंचमी के बाद अगले दो दिन तक लॉकडाउन होने के चलते गुरुवार शाम शहर की सभी सब्जी मंडियों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। जवाहर नगर में कुछ सब्जी विक्रेताओं के यहां भीड़ के चलते सब्जी ही खत्म हो गई।

मास्क नहीं तो जेल

राम मंदिर चौराहे पर गुरुवार शाम को एसडीएम अभिषेक गेहलोत और सीएसपी हेमन्त चौहान ने मास्क को लेकर चैकिंग की। बगैर मास्क के गुजर रहे वाहन चालकों को रोका और अस्थायी जेल भेजा गया। प्रशासन ने पुलिस के एक वाहन को अस्थायी जेल घोषित किया था। बिना मास्क के पकड़े गए लोगों को कुछ देर के लिए इसी अस्थायी जेल में रखा गया।

बालिकाओं ने दिया स्वच्छता का संदेश

भगतपुरी में रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश देती हुई बालिकाएं। • नईदुनिया

रतलाम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में रतलाम को अव्वल बनाने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है। रंगोली बनाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भगतपुरी में देशना जैन, मिशिका जैन, गविशा जैन, आराध्या जैन ने रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर पृष्ठ 15 दिनांक 02/04/2021

कोरोना ने बढ़ाई पाबंदी : • शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा, आज गेर नहीं निकलेगी

56 घंटे लॉकडाउन, मेडिकल सुविधा मिलेगी, घर-घर दूध पहुंचाने सुबह 4 व शाम को 3 घंटे की छूट

विधायक चेतन्य काश्यप की उपस्थिति में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुआ दो दिनी लॉकडाउन का फैसला

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना के फैलाव की रफ्तार के साथ पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। बेकाबू होती स्थितियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रशासन को शहर में पिछले रविवार (28 मार्च) से शुरू हुए 32 घंटे के लॉकडाउन का दायरा बढ़ाकर 56 घंटे का करना पड़ा है। यह दो दिनी लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। यानी शनिवार और रविवार शहरवासियों को घर में गुजारना पड़ेगा। चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस दौरान मेडिकल सुविधाएं चालू रहेंगी, तो सुबह 6 से 10 बजे तक तथा शाम को 4 से 7 बजे तक घर-घर दूध भी पहुंचेगा। सब्जी, किराना सहित अन्य सामान शुक्रवार को ही जुटाना पड़ेगा। सभी प्रकार की दुकानें और संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।

सरकारी गाइडलाइन के अनुसार यह फैसले संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए गुरुवार को हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए। विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, एडीएम जमुना भिड़े, एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत उपस्थित रहे।

लॉकडाउन की सूचना के बाद पॉवर हाउस रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने लगी वाहनों की कतार। फोटो - चिंटू मेहता

सरकार को लेना पड़ा निर्णय, जागरूक रहना जरूरी : काश्यप- विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आंकड़ों में कमी आना आवश्यक है अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। इसे रोकने के लिए शासन ने गुरुवार को रतलाम सहित प्रदेश के पांच शहरों में दो दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। दूध, मेडिकल और अस्पताल की सेवाएं बहाल रहेंगी।

पेट्रोल पंप, किराना दुकानों पर लगी कतार

गुरुवार दोपहर लॉकडाउन की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होते ही नागरिक बाजार पर टूट पड़े। किराना दुकानों पर देर रात तक भीड़ रही तो पेट्रोल पंप पर वाहनों की कतार लग गई। कई पेट्रोल पंप पर शाम तक ही पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद संचालकों को पंप बंद करना पड़े।

लॉकडाउन में यह रहेगी छूट

- दवाइयों की आपूर्ति व दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे।
- दूध सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच तथा शाम को 4 से 7 बजे तक घर-घर बंट सकेगा।
- जिले से बाहर जाने वालों की कोविड जांच की व्यवस्था तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर की गई है।
- होटल या रेस्टोरेंट संचालक खाद्य पदार्थ पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे।

लॉकडाउन में ये रहेंगी पाबंदियां

- घर के बाहर होली खेलने पर प्रतिबंधित रहेगा। रंगपंचमी का त्योहार सार्वजनिक की जगह घर मनाया जाएगा।
- बाहर खासकर महाराष्ट्र व गुजरात से रेल व बस से आने वालों को शहर में प्रवेश करने पर कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगी।
- रिपोर्ट नहीं दिखाने पर बाहरी से आने वालों को 7 दिन के लिए अनिवार्य रूप से होम आइसोलेट रहना होगा।
- होटल व रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना, पिलाना पूरी प्रतिबंधित रहेगा।
- ठेले, खोमचे आदि पर खड़े रहकर किसी भी प्रकार के खाद्य या पेय पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

शीतला सप्तमी, पुजारी करेंगे सांकेतिक पूजा

लॉकडाउन के दौरान रविवार को आने वाली शीतला सप्तमी पर भी महिलाओं को घर में ही सांकेतिक पूजा करना होगी। शीतला माता मंदिर और पूजा स्थलों पर आम व्यक्तियों, महिलाओं द्वारा पूजा करना प्रतिबंधित रहेगा, यहां केवल पुजारी पूजा करेंगे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस पृष्ठ 01 दिनांक 2/04/2021

निगम ने बनाई 1001 रांगोली, दिया स्वच्छता का संदेश

महिला समूहों, नागरिकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं आदि ने रांगोली के माध्यम से इतिहास रचकर रतलाम को बनाया नम्बर-1

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क ▪

कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक गोपालचंद डाड के निर्देश और निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में स्व%छ सर्वेक्षण•2021 के तहत रतलाम शहर को स्व%छ और सुंदर बनाने के प्रयास तेजी से जारी है। इन्ही प्रयासों के चलते कचरामुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर रांगोली निर्माण कर नागरिकों को स्व%छता का स्व%छता का संदेश दिया गया है। इस अभियान में समूचे शहर को जोड़ते हुए 31 मार्च बुधवार को रतलाम नगर के विभिन्न इलाकों में एक हजार एक रांगोली का निर्माण कर नागरिकों ने रांगोली निर्माण में भी नम्बर-1 बना दिया है।

नगर निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम शहर को स्व%छता रैंकिंग 5 स्टार में लाने के लिए रतलाम नगर निगम ने दावेदारी की है और इसके मापदण्डों को भी पूरा किए जाने के प्रयास सतत जारी है। इसी के तहत रतलाम शहर के 49 ही वार्ड जीरो वेस्ट में तब्दिल किए जा चुके है।

पिछले दिनों नई दिल्ली से रांगोली को देश में विशेष अलर्ट घोषित किया गया है जो शहरवासियों के लिए गर्व का विषय है। इसी कड़ी में आगामी 31 मार्च को शहर में एक हजार एक रांगोली का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के तहत बुधवार को अपने कार्यालय, घर, दुकान, पार्क, चौराहा, तिराहे इत्यादि की सफाई करवाकर विभिन्न उद्देश्यों को दर्शित कर रंगोली बनवाई गई ताकि पूरे नगर में स्व%छता के प्रति सुन्दर भाव जागे।

इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए रतलाम के एक दर्जन महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 100 सदस्यों का चयन किया। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय कर नगर की 150 से %यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का चयन कर उन्हे अपनी क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं के माध्यम से रांगोली निर्माण का दायित्व सौपा गया। इसके साथ ही सफाई मित्र समूह की टीम भी अलर्ट रही। सुबह सात बजे से रांगोली निर्माण की शुरुवात स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम कार्यालय से की गई। इसके बाद शहर के अनेक इलाकों में रांगोली निर्माण का कार्य शाम सात बजे तक जब तक चलता रहा कि जब तक 1001 रांगोली का लक्ष्य पूरा नही हो गया। 215-2

इन इलाकों में सजी रांगोली

अलकापुरी, जनता नगर, न्यायनाथ राजगढ़, अर्जुन नगर, दिलीप नगर, हनुमान ताल, रम्पुरी, शक्तिनगर, शुभम परिसर, सहकारी कॉलोनी, दीपक नगर, सूरजमल जैन नगर, अर्जुन नगर, माहेश्वरी प्रोटीन, राजीव नगर, दिलीपनगर, सिविक सेंटर, काशी विश्वनाथ मंदिर, अमृतसागर क्षेत्र, गढ़ कैलाश, भगतपुरी, जिला अस्पताल, महिला एवं शिशु रोग गहन चिकित्सा ईकाई, बाल चिकित्सालय, काटजूनगर, जवाहर नगर, दिनदयाल नगर, नगर निगम कार्यालय परिसर, साईंस एण्ड आटर्स कालेज, कालिका माता मंदिर परिसर, झाली तालाब, अमृतसागर तालाब क्षेत्र, वार्ड नम्बर-22 (भगतपुरी), रत्नेश्वर रोड, वार्ड नम्बर-25 (मालीकुआं) गवली मोहल्ला, भाटी का वास, लोहार पट्टी, अजा बस्ती व आसपास का इलाका, सुभाष नगर, त्रिवेणी रोड, शंकरगढ़, नया कल्याण नगर, पुराना कल्याण नगर, मस्जिदवाली गली, त्रिपोलिया गेट रोड, गढ़कैलाश, मोतीनगर, संत नगर, खेतलपुर, ईश्वर नगर गली नम्बर-1,2,3 व 4, राम रहीम नगर गली नम्बर-1 व 2, बीरजशाह नगर गली नम्बर 1,2 व 3, गोपाल नगर गली नम्बर 1 व 2, बुद्धेश्वर रोड, टाटा नगर गली नम्बर- 1,2 व 3, डी डी नगर सेक्टर एक से लेकर पांच तक, श्री नगर, ओसवाल नगर, बालाजी नगर, चुन्नात बिल्डिंग, गुलाबशाह वाली रोड, नवीन कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीआरपी लाईन, मोचीयान पंचायत, शैरानीपुरा-1, कैर बावड़ी, धानीपुरा, धबाईजी का वास, ब्राह्मण गली, सोमनाथ मंदिर, हाथीखाना रोड सहित नगर के सभी प्रमुख चौराहे सहित 100 से %यादा क्षेत्रों में रांगोली का निर्माण कराया गया है।